भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या: *86
25 जुलाई, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

संक्रामक रोगों की निगरानी

***86. श्री चन्द्र प्रकाश चौधरीः**

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) किन जिलों में तपेदिक और मलेरिया के मामले सर्वाधिक हैं और सरकार द्वारा झारखंड में इन बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;
(ख) क्या सरकार ने देश में युवाओं में मधुमेह, उच्च रक्तचाप और मोटापे जैसी जीवन शैली से संबंधित बीमारियों की रोकथाम के लिए कोई पहल की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या देश में डेंगू, स्वाइन फ्लू या निपाह वायरस जैसे संक्रामक रोगों के प्रकोप की निगरानी के लिए कोई तंत्र मौजूद है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आबंटित और उपयोग की गई धनराशि का विशेषकर झारखंड सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार ब्यौरा क्या है; और
(ङ) सरकार द्वारा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत रोगी के स्वास्थ्य संबंधी अभिलेखों का डिजिटलीकरण करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री
(श्री जगत प्रकाश नड्डा)

(क) से (ङ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

25 जुलाई, 2025 के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं.86 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ङ): भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत झारखंड राज्य सहित पूरे देश में राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) और राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (एनएमईपी) लागू किया है।

झारखंड में टीबी और मलेरिया के रिपोर्ट किए गए जिलेवार मामले क्रमशः **अनुलग्नक-1 और 2** में दिए गए हैं।

टीबी के मामलों में कमी लाने और इस कमी को बनाए रखने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा झारखंड में सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:

- राज्य और ज़िला-विशिष्ट कार्यनीति की योजनाओं के माध्यम से उच्च टीबी रोगभार वाले क्षेत्रों में लक्षित कार्यकलाप।
- टीबी रोगियों को निःशुल्क दवाएँ और निदान सेवा का प्रावधान।
- आयुष्मान आरोग्य मंदिर के माध्यम से दुर्बल आबादी में टीबी के मामलों की गहन खोज।
- निजी क्षेत्र की भागीदारी।
- उप-ज़िला स्तर तक आणविक निदान प्रयोगशालाओं का विस्तार।
- उपचार की पूरी अवधि के दौरान पोषण सहायता के रूप में प्रति रोगी 1,000 रुपये प्रति माह की निक्षय पोषण योजना।
- कलंक की भावना को कम करने, सामुदायिक जागरूकता बढ़ाने और स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार में सुधार के लिए गहन सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) कार्यकलाप।
- टीबी रोगियों और दुर्बल आबादी के टीबी रोगियों के संपर्क में आने वालों के लिए टीबी निवारक उपचार का प्रावधान।
- निक्षय पोर्टल के माध्यम से अधिसूचित टीबी मामलों की निगरानी।
- निक्षय मित्र पहल के अंतर्गत टीबी रोगियों और घरेलू संपर्कों को अतिरिक्त पोषण, नैदानिक और व्यावसायिक सहायता का प्रावधान।

भारत सरकार द्वारा मलेरिया नियंत्रण के लिए उठाए गए कदम निम्न हैं:

- चयनित उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में इनडोर अवशिष्ट छिड़काव (आईआरएस), उच्च मलेरिया स्थानिकमारी प्रभावित क्षेत्रों में दीर्घकालिक कीटनाशक जाल (एलएलआईएन), लार्वाभक्षी मछलियों का उपयोग, शहरी क्षेत्रों में लार्वा-रोधी उपायों सहित एकीकृत वेक्टर प्रबंधन।
- रोग प्रबंधन जिसमें सक्रिय, निष्क्रिय और प्रहरी निगरानी के साथ प्रारंभिक मामले का पता लगाना और उसके बाद पूर्ण और प्रभावी उपचार, रेफरल सेवाओं को सुदृढ़ करना, महामारी के प्रति तैयारी और त्वरित अनुक्रिया शामिल है।

- व्यवहार परिवर्तन संचार (बीसीसी), अंतर-क्षेत्रीय अभिसरण और क्षमता निर्माण के माध्यम से मानव संसाधन विकास सहित सहायक कार्यकलाप।

एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (आईडीएसपी) और राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीवीबीडीसी) के माध्यम से, सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों के माध्यम से डेंगू, स्वाइन फ्लू, निपाह आदि रोगों की स्थिति और प्रकोप पर नियमित निगरानी रखती है। प्रत्येक राज्य ने इन रोगों की जाँच और निगरानी के लिए आईडीएसपी के अंतर्गत जिला लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं (डीपीएचएल), राज्य रेफरल प्रयोगशालाओं (एसआरएल) जैसी प्रयोगशालाएँ निर्धारित की हैं। प्रकोप की स्थिति में नियमित समीक्षा की जाती है और त्वरित अनुक्रिया दल (आरआरटी) तैनात किए जाते हैं।

सरकार राष्ट्रीय गैर-संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम (एनपी-एनसीडी) के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह कार्यक्रम अवसंरचना को सुदृढ़ करने, मानव संसाधन विकास, शीघ्र निदान, उपचार और प्रबंधन के लिए रेफरल और जीवनशैली संबंधी रोगों सहित स्वास्थ्य संवर्धन पर केंद्रित है।

एनपी-एनसीडी के अंतर्गत 770 जिला एनसीडी क्लीनिक, 372 जिला डे केयर सेंटर और 6410 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एनसीडी क्लीनिक स्थापित किए गए हैं।

देश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या के एक भाग के रूप में जीवनशैली संबंधी बीमारियों सहित सामान्य एनसीडी की रोकथाम, नियंत्रण और जांच के लिए जनसंख्या-आधारित पहल शुरू की गई है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निम्नलिखित के लिए सक्रिय कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं:

- यह सुनिश्चित करना कि आयुष्मान आरोग्य मंदिरों (एएएम) में एनसीडी जांच गतिविधियों के लिए प्रति सप्ताह दो नामोदिष्ट दिन निर्धारित किए जाएँ।
- अधिक वजन या मोटापे के लिए स्पष्ट रूप से चिन्हित सभी व्यक्तियों की उन पर लगातार नज़र रखने के लिए पहचान की जानी चाहिए, उन्हें जीवनशैली में बदलाव, स्वस्थ आहार, शारीरिक गतिविधि और योग पर परामर्श प्रदान किया जाना चाहिए।
- आयुष्मान आरोग्य मंदिरों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, जिला स्वास्थ्य केंद्रों, उप-मंडल और जिला कार्यालयों और मेडिकल कॉलेजों जैसे स्वास्थ्य सुविधाकेंद्रों में "तेल और शर्करा बोर्ड" (स्थिर/डिजिटल) का प्रमुखता से प्रदर्शन सुनिश्चित करना।
- स्वस्थ आहार संबंधी आदतों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एनपी-एनसीडी के अंतर्गत जारी आईईसी/बीसीसी अभियानों और आउटरीच का लाभ उठाना।
- आरबीएसके टीम द्वारा स्वास्थ्य जाँच और परामर्श कार्यकलाप के दौरान स्कूली शिक्षकों और बच्चों को स्वस्थ आहार और कम चीनी/तेल के सेवन के बारे में जागरूक करना।

- एनएचएम के अंतर्गत सामुदायिक सहभागिता मंचों जैसे महिला आरोग्य समितियों (एमएएस), जन आरोग्य समितियों (जेएएस) और ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवसों का लाभ उठाकर बैठकों, स्वास्थ्य संवर्धन कार्यक्रमों और गृह भ्रमण के माध्यम से सामुदायिक स्तर पर संदेश का प्रचार करना।

पिछले तीन वर्षों के दौरान आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जारी धनराशि का विवरण, झारखंड सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार, **अनुलग्नक-3** में दिया गया है।

एक एकीकृत, नागरिक-केंद्रित राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी व्यवस्था के विकास हेतु भारत सरकार द्वारा सितंबर 2021 में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) शुरू किया गया था। दिनांक 21 जुलाई 2025 तक, कुल 79.55 करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते (एबीएचए) बनाए गए हैं, स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री (एचएफआर) पर 4.15 लाख स्वास्थ्य सुविधाकेंद्र पंजीकृत हैं, 6.72 लाख स्वास्थ्य पेशेवरों ने हेल्थकेयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री (एचपीआर) पर पंजीकरण कराया है और 64.28 करोड़ स्वास्थ्य रिकॉर्ड एबीएचए के साथ जोड़े गए हैं।

अनुलग्नक-1

झारखंड में टीबी के अधिसूचित मामलों की जिलावार संख्या

जिले का नाम	अधिसूचित टीबी मामलों की संख्या (2024- जनवरी से दिसंबर)
रांची	7694
पूर्वी सिंहभूम	6360
पश्चिमी सिंहभूम	5156
पलामू	4316
बोकारो	3982
धनबाद	3810
दुमका	3431
गिरिडीह	3243
देवघर	3159
साहिबगंज	2677
गोड्डा	2388
हजारीबाग	2239
सरायकेला-खरसावां	1995
गढ़वा	1960
पाकुर	1940
रामगढ़	1422
चतरा	1349
जमताड़ा	1323
गुमला	1060
लातेहार	1048
कोडरमा	985
सिमडेगा	921
खूंटी	634
लोहरदगा	578

डेटा स्रोत: **नि-क्षय**

अनुलग्नक-2

झारखंड में मलेरिया के अधिसूचित मामलों की जिलावार संख्या

जिले का नाम	2024 में मलेरिया के मामले
बोकारो	108
चतरा	108
देवघर	13
धनबाद	35
दुमका	91
पूर्वी सिंहभूम	5338
गढ़वा	109
गिरिडीह	204
गोड्डा	10288
गुमला	171
हजारीबाग	208
जामताड़ा	11
खूंटी	1388
कोडरमा	69
लातेहार	277
लोहरदगा	247
पाकुर	1514
पलामू	81
रामगढ़	63
रांची	254
साहेबगंज	978
सरायकेला खरसावां	1254
सिमडेगा	344
पश्चिमी सिंहभूम	19199

स्रोत – **राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम से कार्यक्रम डेटा**

अनुलग्नक-3

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत पिछले 3 वित्त वर्षों में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्गत केंद्रीय अंश

(करोड़ रु में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2024-25
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.71	0.34	1.00
आंध्र प्रदेश	456.28	430.96	313.74
अरुणाचल प्रदेश	3.71	2.61	7.40
असम	208.35	284.67	290.93
बिहार	121.82	172.5	600.00
चंडीगढ़	6.06	8.56	8.44
छत्तीसगढ़	347.96	189.26	336.13
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	2.93	7.68	5.43
गोवा	0.32	0.73	0.00
गुजरात	647.01	267.48	240.58
हरियाणा	138.65	89.68	118.69
हिमाचल प्रदेश	64.32	45.67	49.71
जम्मू और कश्मीर	78.44	34.89	46.14
झारखंड	0	83.55	340.84
कर्नाटक	620.17	302.39	486.19
केरल	151.34	151.34	151.34
लद्दाख	1.25	1.50	1.28
लक्षद्वीप	0.15	0.07	0.00
मध्य प्रदेश	665.73	783.28	657.76
महाराष्ट्र	373.47	548.40	379.18
मणिपुर	38.55	28.43	29.85
मेघालय	47.31	42.69	36.52
मिजोरम	24.14	20.51	20.51
नागालैंड	17.67	25.79	24.15
पुदुचेरी	7.93	5.25	9.26
पंजाब	111.38	57.96	122.20
राजस्थान	412.09	606.04	418.95
सिक्किम	2.23	5.69	4.36
तमिलनाडु	560.84	681.74	440.57
तेलंगाना	165.7	130.52	218.29
त्रिपुरा	43.68	46.78	52.12
उत्तर प्रदेश	490.98	830.76	1026.06
उत्तराखंड	58.04	56.69	56.67

******